कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

क्रमांक / 1139 /अ.भू.अ. / रा.नि.–1 / 2024 जांजगीर, दिनांक 04/09 /2024

अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–343 के उन्नयन / चौड़ीकरण कार्य अंतर्गत वनभूमि ब्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों का कुल रकबा **104.378 हे0** को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक FC-11/159/2022-FC दिनांक 24 / 01 / 2023 के निर्देश की कंडिका 7 के उप कंडिका 6 में उल्लेखित निर्देश Existing afforestaion or afforestaion raised afresh shall be eligible for ACA after attaining the age of 5 years, provided such plantation meet the preconditions specified hereinabove including predetermined success/survival criteria. Preconditions and criterion of a particular afforestation/plantation shall be evaluated by the local Forest Department by undertaking a visit to such site; के परिपालन में वन मंडलाधिकारी जिला जांजगीर चांपा द्वारा वन विभाग के आधिपत्य किये जाने एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1614 दिनांक 18 / 07 / 2024 तथा अ.वि.अ. (रा.) जांजगीर का पत्र क्रमांक / 2031 / अ.वि.अ. / स्टेनो / 2024 दिनांक 23 / 08 / 2024, अ.वि.अ. (रा.) पामगढ़ का पत्र क्रमांक / 1332 / वाचक / अ.वि.अ. / 2024 दिनांक 23 / 08 / 2024, अ.वि.अ. (रा.) अकलतरा का पत्र क्रमांक / 2233 / अ.वि.अ. / 2024 दिनांक 02 / 09 / 2024, अ.वि.अ. (रा.) चांपा का पत्र क्रमांक / 1726 / अ.वि.अ. / 2024 दिनांक 28 / 08 / 2024 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई है:–

स. क्र.	जिला	तहसील	रोपण का स्थल	वन परिक्षेत्र	खसरा नंबर	रकबा (हे.)	मौके पर पूर्व से वृक्षारोपित रकबा (हे0 में)
1	जांजगीर चांपा	नवागढ़	मुड़पार	बलौदा	657 / 1	17.612	17.612
2	जांजगीर चांपा	पामगढ़	बोरसी	बलौदा	952 / 1	33.698	27.000
3	जांजगीर चांपा	बलौदा	जर्वे–1	बलौदा	230 / 1, 230 / 2, 257 / 1	18.249	18.249
4	जांजगीर चांपा	चांपा	केसमंदा–1	चांपा	892 / 1	4.980	4.980
5	जांजगीर चांपा	चांपा	केसमंदा–2	चांपा	879	29.839	29.839
					योग:–	**104.378**	**97.680**

उपरोक्त भूमि को वन विभाग के आधिपत्य किये जाने की स्थिति में गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य की राशि की सूचना पृथक से दी जावेगी। उपरोक्त ग्रामों का कुल रकबा **104.378 हे0** पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक FC-11/159/2022-FC दिनांक 24 / 01 / 2023 के द्वारा जारी निर्देशों के पालन के शर्त पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी की जाती है।

कलेक्टर
जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

पृष्ठा. क्र0 / 1140 / अ.भू.अ. / रा.नि.–1 / 2024 जांजगीर, दिनांक 04 / 09 / 2024

1. कलेक्टर बलरामपुर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित्।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित्।
3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल जांजगीर चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित्।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एन.एच. कैम्पस, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित्।
5. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय–राजमार्ग संभाग अंबिकापुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित्।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर / पामगढ़ / चांपा / अकलरा जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ प्रेषित्।
7. तहसीलदार जांजगीर / पामगढ़ / चांपा / बलौदा जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ प्रेषित्।

कलेक्टर
जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला – जांजगीर,चांपा (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक/ 92 /रा.नि.–1/अ.भू.अ./ 2025 जांजगीर, दिनांक 15 /01/2025

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
जांजगीर–चांपा वनमंडल
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विषयः– राजस्व भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामांतरण करने के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/तक.अधि./77 चांपा दिनांक 29/01/2025

-----00-----

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत यूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. रा.रा.मा.सं. अंबिकापुर छ.ग. के पत्र क्र0/4390 दिनांक 12/06/2024 के माध्यम से जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत कुल रकबा 104.378 हे0 भूमि का डी.जी.पी.एस. करा कर अंबिकापुर से रामानुजगंज 2 लेन/4 लेन एन.एच. 343 जिला बलरामपुर एवं सरगुजा कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के समतुल्य भूमि पर वनीकरण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल रकबा 104.378 हे0 राजस्व भूमि को वनविभाग के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया गया है।

संलग्नः– आदेश की प्रति।

अपर कलेक्टर
जिला जांजगीर–चांपा
15/1/25

पृष्ठां. क्र0/ 93 /अ.भू.अ./रा.नि.–1/2025 जांजगीर, दिनांक 15/01/2025

प्रतिलिपीः–

1. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय **महानदी भवन नवा रायपुर अटलनगर** को सादर सूचनार्थ संप्रेषित्।
2. कलेक्टर जिला बलरामपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित्।
3. कलेक्टर जिला सरगुजा (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित्।
4. वनमंडलाधिकारी बलरामपुर वनमंडल जिला बलरामपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित्।
5. वनमंडलाधिकारी सरगुजा वनमंडल जिला सरगुजा (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित्।
6. कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि.रा.रा.मा.सं. अंबिकापुर को सूचनार्थ संप्रेषित्।

अपर कलेक्टर
जिला–जांजगीर चांपा
15/1/25

न्यायालय कलेक्टर जिला – जांजगीर,चांपा (छ0ग0)

रा0प्र0क0 02 /अ–19 (3)/2024–25

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जांजगीर चांपा (छ.ग.)

....आवेदक

विरूद्ध

छ. ग. शासन

.... अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक - 15/01/2025)

1. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी जांजगीर चांपा (छ.ग.) द्वारा जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत कुल रकबा **104.378 हे0** को अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–343 के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य अंतर्गत वनभूमि ब्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु मांग किये जाने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र कमांक FC-11/159/2022-FC दिनांक 24/01/2023 के निर्देश की कंडिका 7 के उप कंडिका 6 में उल्लेखित निर्देश Existing afforestaion or afforestaion raised afresh shall be eligible for ACA after attaining the age of 5 years, provided such plantation meet the preconditions specified here in above including predetermined success/survival criteria. Preconditions and criterion of a particular afforestation/plantation shall be evaluated by the local Forest Department by undertaking a visit to such site; के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र कमांक 1139/अ.भू.अ./रा.नि.–1/2024 जांजगीर दिनांक 04/09/2024 के द्वारा जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत कुल रकबा 104.378 हे0 भूमि का क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया था।
3. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी जांजगीर चांपा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/तक.अधि./177 चाम्पा दिनांक 09.01.2025 विषय Diversion of 102-324 ha. forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj 2-lane/4lane National Highway 343-In Balrampur and Sarguja District in State of Chhattisgarh.–पंजीयन कमांक– FP/CG/Road/147299/2021 Area 102-324 ha संदर्भ –कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि.रा.रा.मा.सं. अम्बिकापुर छ.ग. का पत्र क./4390 दिनांक 12.06.2024 के माध्यम से User Agency द्वारा राजस्व भूमि रकबा 104. 378 हेक्ट. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए डी.जी.पी.एस. कराकर प्रस्तुत किया गया है। जिस पर Ambikapur to ramanujganj 2-lane/4lane N.H. 343- In Balrampur and Sarguja District- कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के समतुल्य भूमि पर वनीकरण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना है। अतः उक्त भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामांतरण की कार्यवाही करने पत्र प्रस्तुत किया गया है ताकि अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके। उक्त सन्दर्भ में प्रकरण दर्ज कर जांच प्रतिवेदन एवं स्पष्ट अभिमत हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर/ चांपा/ अकलतरा/ पामगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया।
4. **अनुविभागीय अधिकारी (रा) जांजगीर का निम्न कंडिकाओं में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हैः–**

1. ग्राम मुड़पार स्थित भूमि खसरा नंबर 657/1 रकबा 21.3520 हे0 भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में छ.ग. शासन के नाम पर दर्ज है।
2. उक्त भूमि पर लगभग 7–8 वर्ष पूर्व वृक्षारोपण किया जा चुका है, जिसमें कहवा, नीम, जामुन, कड़ही, शीर्षा आदि के पौधे पर्याप्त मात्रा में एवं कमबद्ध तरीके से रोपित है जो कि वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है।
3. खसरा नंबर 657/1 रकबा 21.3520 हे0 का मद छोटे बड़े झाड़ के जंगल के संबंध में जानकारी वर्तमान राजस्व अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।
4. खसरा नंबर 657/1 में पूर्व से ही वृक्षारोपण है।

5. **अनुविभागीय अधिकारी (रा) पामगढ़ का निम्न कंडिकाओं में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है:–**
   1. ग्राम बोरसी स्थित भूमि खसरा नंबर 952/1 में से रकबा 33.698 हे0 भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में घांस मद में दर्ज है, जिसमें से रकबा 27.000 हे0 भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण 2017 से किया जा रहा है, शेष भूमि रिक्त है।
   2. उक्त भूमि पर लगभग 7–8 वर्ष पूर्व वृक्षारोपण किया जा चुका है, जिसमें नीम, जामुन, पीपल, कौहा आदि के पौधे पर्याप्त मात्रा में एवं कमबद्ध तरीके से रोपित है जो कि वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है।
   3. खसरा नंबर 952/1 रकबा 33.698 हे0 में से रकबा 27.000 हे0 में पूर्व से ही वृक्षारोपण है।

6. **अनुविभागीय अधिकारी (रा) चांपा का निम्न कंडिकाओं में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है:–**
   1. ग्राम कोसमंदा स्थित खसरा नंबर 879 रकबा 42.544 हे0 एवं खसरा नंबर 892 रकबा 34.519 हे0 राजस्व अभिलेख में दर्ज है।
   2. खसरा नंबर 879 में से रकबा 86.00 एकड़/34.830 हे0 एवं खसरा नंबर 892/1 में से रकबा 74.00 एकड़/29.519 हे0 भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है तथा मौके पर वृक्ष लगा हुआ है।
   3. खसरा नंबर 879 में बांगो नहर एवं 02 तालाब का निर्माण है। ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नंबर 892 में गौठान एवं तालाब निर्माण कराया गया है एवं खेलकुद के मैदान के लिये सुरक्षित रखा गया है।
   4. खसरा नंबर 879 एवं खसरा नंबर 892 में पूर्व से ही वृक्षारोपण है व वृक्षारोपण हेतु भूमि शेष नहीं है।

7. **अनुविभागीय अधिकारी (रा) अकलतरा का निम्न कंडिकाओं में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है:–**
   1. ग्राम जर्वे स्थित भूमि खसरा नंबर 230 जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में 4 बटांकन है। 230/1क शामिल 230/1ख रकबा 9.269 हे0 पहाड़ चट्टान मद में है, जिसके चारों तरफ वन विभाग द्वारा तार कांटा घेरा वृक्षारोपण किया गया है, तथा जवे (ब) से ग्राम दहकोनी जाने का मार्ग इसी खसरा नंबर में स्थित है। खसरा नंबर 230/1ग रकबा 1.170 हे0 जो कि आबादी भूमि है। जिसमें शास. कन्या पूर्व मा. शाला एवं स.शि. मं. की जमीन है। खसरा नंबर 230/1ड रकबा 0.809 हे0 भूमि आबादी भूमि है।
   2. खसरा नंबर 257 जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में 4 बटांकन है। खसरा नंबर 257/1 रकबा 17.614 हे0 पहाड़ चट्टान (शीतबाबा पहाड़) है, जिसके चारों तरफ वन विभाग द्वारा तार कांटा घेरकर वृक्षारोपण किया गया है, तथा जवे से खोहा जाने का मार्ग इसी खसरा नंबर में स्थित है। खसरा नंबर 357/2 रकबा 1.092 हे0 आबादी भूमि हैं। दोनों आबादी भूमि में मकान बने हुए हैं।
   3. उक्त खसरा नंबरों में पूर्व से ही वृक्षारोपण है व वृक्षारोपण हेतु भूमि शेष नहीं है।

8. **अनुविभागीय अधिकारी (रा) जांजगीर** द्वारा आवेदित भूमि के बंटन के संबंध में निम्नानुसार कंडिकावार जानकारी प्रतिवेदित किया गया है:–

1. ग्राम मुड़पार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल– 678.145 हे0
2. ग्राम का मकबुजा रकबा– 532.283 हे0
3. ग्राम का गैर मकबुजा रकबा– 145.862 हे0
4. ग्राम का चराई रकबा– 54.700 हे0
5. ग्राम का कुल मकबुजा रकबा 2 प्रतिशत– 1.095 हे0
6. ग्राम का कुल चराई का रकबा में से दो प्रतिशत घटाने पर शेष रकबा– 53.607 हे0 (अर्थात वन विभाग को भूमि आबंटन पश्चात ग्राम के कुल निस्तारी/चराई का रकबा मकबूजा रकबा का 2 प्रतिशत से अधिक है।)
7. ग्राम का कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार– 2470
8. ग्राम के कुल मवेशी की संख्या– 416
9. मिसल खसरा अनुसार आवेदित भूमि खसरा नंबर 657/1 घास मद में दर्ज है।
10. आवेदित भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है।

अतः तहसीलदार नवागढ़ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम मुडपार तहसील नवागढ़ की शासकीय भूमि खसरा नंबर 657/1 रकबा 17.612 हे0 घास भूमि का आबंटन/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है

9. **अनुविभागीय अधिकारी (रा) पामगढ़** द्वारा आवेदित भूमि के बंटन के संबंध में निम्नानुसार कंडिकावार जानकारी प्रतिवेदित किया गया है:–

1. ग्राम बोरसी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल– 653.501 हे0
2. ग्राम का मकबुजा रकबा– 484.987 हे0
3. ग्राम का गैर मकबुजा रकबा– 168.514 हे0
4. ग्राम का चराई रकबा– 87.554 हे0
5. ग्राम का कुल मकबुजा रकबा 2 प्रतिशत– 1.751 हे0
6. ग्राम का कुल चराई का रकबा में से दो प्रतिशत घटाने पर शेष रकबा– 85.803 हे0 (अर्थात वन विभाग को भूमि आबंटन पश्चात ग्राम के कुल निस्तारी/चराई का रकबा मकबूजा रकबा का 2 प्रतिशत से अधिक है।)
7. ग्राम का कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार–2169
8. ग्राम के कुल मवेशी की संख्या– 745
9. आवेदित भूमि पर अन्य कोई शासकीय योजना प्रस्तावित नहीं है।
10. मिसल खसरा अनुसार आवेदित भूमि खसरा नंबर 952/1 घास मद में दर्ज है।
11. आवेदित भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है।

अतः तहसीलदार पामगढ़ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम बोरसी तहसील पामगढ़ की शासकीय भूमि खसरा नंबर 952/1 रकबा 87.176 हे0 घास भूमि में से 33.698 हे0 का आबंटन/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

10. **अनुविभागीय अधिकारी (रा) अकलतरा** द्वारा आवेदित भूमि के बंटन के संबंध में निम्नानुसार कंडिकावार जानकारी प्रतिवेदित किया गया है:–

1. ग्राम जर्वे–1 का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल– 972.167 हे0
2. ग्राम का मकबुजा रकबा– 564.412 हे0

3. ग्राम का गैर मकबुजा रकबा– 407.755 हे0
4. ग्राम का चराई रकबा– 88.138 हे0
5. ग्राम का कुल मकबुजा रकबा 2 प्रतिशत– 11.288 हे0
6. ग्राम का कुल चराई का रकबा में से दो प्रतिशत घटाने पर शेष रकबा– 76.849 हे0 (अर्थात वन विभाग को भूमि आबंटन पश्चात ग्राम के कुल निस्तारी/चराई का रकबा मकबूजा रकबा का 2 प्रतिशत से अधिक है।)
7. ग्राम का कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार–2787
8. ग्राम के कुल मवेशी की संख्या– 256
9. वर्तमान राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है और निस्तार पत्रक में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है ।
10. आवेदित भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है।

अतः तहसीलदार बलौदा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम जर्वे–1 तहसील बलौदा की शासकीय भूमि खसरा नंबर 230/1, 230/2, 257/1 कुल रकबा 18.249 हे0 का आबंटन/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

11. **अनुविभागीय अधिकारी (रा) चांपा** द्वारा आवेदित भूमि के बंटन के संबंध में निम्नानुसार कंडिकावार जानकारी प्रतिवेदित किया गया है:–

1. ग्राम कोसमंदा–1, 2 का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल– 1202.119 हे0
2. ग्राम का मकबुजा रकबा– 996.189 हे0
3. ग्राम का गैर मकबुजा रकबा– 205.930 हे0
4. ग्राम का चराई रकबा– 97.799 हे0
5. ग्राम का कुल मकबुजा रकबा 2 प्रतिशत– 19.923 हे0
6. ग्राम का कुल चराई का रकबा में से दो प्रतिशत घटाने पर शेष रकबा– 77.876 हे0 (अर्थात वन विभाग को भूमि आबंटन पश्चात ग्राम के कुल निस्तारी/चराई का रकबा मकबूजा रकबा का 2 प्रतिशत से अधिक है।)
7. ग्राम का कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार– 8530
8. ग्राम के कुल मवेशी की संख्या– 1369
9. अधिकार अभिलेख अनुसार उक्त भूमि छोटे बड़े झाड़ के जंगल और घास मद में है।
10. आवेदित भूमि पर अन्य कोई शासकीय योजना प्रस्तावित नहीं है।
11. मिसल खसरा अनुसार आवेदित भूमि खसरा नंबर 879, 892/1 मद में घास मद दर्ज है।
12. आवेदित भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है।
13. अतः तहसीलदार चांपा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम कोसमंदा तहसील चांपा की शासकीय भूमि खसरा नंबर 879, 892/1 रकबा 42.544 हे0, 34.830 हे0 (77.374 हे0) भूमि में से रकबा 29.839 हे0, 4.980 हे0 (34.819 हे0) का आबंटन/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है

प्रकरण में संलग्न खसरा पांचसाला, निस्तार पत्रक, ट्रेसिंग क्लाथ में चिन्हांकित नक्शा का अवलोकन किया गया। ग्राम मुड़पार स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 657/1 कुल रकबा 17.612 हे0 भूमि को बंटन किये जाने के संबंध में तहसीलदार नवागढ़ द्वारा सहमति देते हुये प्रकरण अ0वि0अ0 (रा.) जांजगीर द्वारा तहसीलदार नवागढ़ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आवेदित भूमि को वन विभाग को आबंटन हेतु सहमति प्रदान किया गया है।

प्रकरण में संलग्न खसरा पांचसाला, निस्तार पत्रक, ट्रेसिंग क्लाथ में चिन्हांकित नक्शा का अवलोकन किया गया। ग्राम बोरसी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 952/1 कुल रकबा 33.698 भूमि को बंटन किये जाने के संबंध में तहसीलदार पामगढ़ द्वारा सहमति देते हुये प्रकरण अ0वि0अ0 (रा.) पामगढ़ द्वारा तहसीलदार पामगढ़ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आवेदित भूमि को वन विभाग को आबंटन हेतु सहमति प्रदान किया गया है।

प्रकरण में संलग्न खसरा पांचसाला, निस्तार पत्रक, ट्रेसिंग क्लाथ में चिन्हांकित नक्शा का अवलोकन किया गया। ग्राम जवे-1 स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 230/1, 230/2, 257/1 कुल रकबा 18.249 हे0 भूमि को बंटन किये जाने के संबंध में तहसीलदार बलौदा द्वारा सहमति देते हुये प्रकरण अ0वि0अ0 (रा.) अकलतरा द्वारा तहसीलदार बलौदा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आवेदित भूमि को वन विभाग को आबंटन हेतु सहमति प्रदान किया गया है।

प्रकरण में संलग्न खसरा पांचसाला, निस्तार पत्रक, ट्रेसिंग क्लाथ में चिन्हांकित नक्शा का अवलोकन किया गया। ग्राम कोसमंदा-1, 2 स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 879, 892/1 रकबा कमशः 4.980, 29.839 कुल रकबा 34.819 हे0 भूमि को बंटन किये जाने के संबंध में तहसीलदार चांपा द्वारा सहमति देते हुये प्रकरण अ0वि0अ0 (रा.) चांपा द्वारा तहसीलदार चांपा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आवेदित भूमि को वन विभाग को आबंटन हेतु सहमति प्रदान किया गया है।

12. प्रकरण का परिशीलन किया गया। प्रकरण में इश्तहार प्रकाशन किया गया, इश्तहार समयावधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। वनमंडलाधिकारी सह नोडल अधिकारी, बलरामपुर वनमंडल, बलरामपुर द्वारा इस प्रकरण में जमा की गई राशि एवं Stage 1 की शर्तों के पालन की सूचना वनमंडलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा के माध्यम से कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा को प्राप्त। संलग्न प्रतिवेदनों, अभिलेखों एवं तहसीलदार नवागढ़/ पामगढ़/ बलौदा/ चांपा व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर/ पामगढ़/अकलतरा/ चांपा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 1 की कंडिका 25 अंतर्गत वांक्षित विंदुवार जांच प्रतिवेदन के आधार पर तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 2 की कंडिका 5 की अपेक्षा अनुसार ग्रामवासियों के निस्तार अधिकारों की सुविधा सुनिश्चित करते हुए छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 237 (3) अंतर्गत ग्राम मुड़पार तहसील नवागढ स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 657/1 कुल रकबा 17.612 हे0, ग्राम बोरसी तहसील पामगढ स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 952/1 कुल रकबा 33.698 हे0, ग्राम जवे-1 तहसील बलौदा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 230/1, 230/2, 257/1 कुल रकबा 18.249 हे0, कोसमंदा-1, 2 तहसील चांपा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 879, 892/1 रकबा कमशः 4.980, 29.839 कुल रकबा 34.819 हे0 भूमि को निस्तार पत्रक से पृथक करते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-कमांक 2 की कंडिका 5 के तहत् वन विभाग जांजगीर चांपा को क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु निःशुल्क आबंटित किया जाता है। यह आदेश पारित एवं घोषित।

कलेक्टर
जिला-जांजगीर चांपा

प्रतिलिपि –

1. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज , (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सरगुजा, (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. वन मंडलाधिकारी जिला जांजगीर चांपा, (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित ।
5. वन मंडलाधिकारी जिला बलरामपुर–रामानुजगंज , (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित ।
6. वन मंडलाधिकारी जिला सरगुजा, (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एन.एच. कैंपस , पेंशन बाड़ा रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित ।
8. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अंबिकापुर (छ.ग.) को सूचनार्थ संप्रेषित ।
9. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर/ पामगढ़/अकलतरा/ चांपा को सूचनार्थ।
10. तहसीलदार नवागढ़/ पामगढ़/ बलौदा/ चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितु।

कलेक्टर
जिला–जांजगीर चांपा